झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–12 वर्ष 2019

मुहा यादव उर्फ परवेश कुमार उर्फ परवेश कुमार यादव (अवयस्क) अपने प्राकृतिक अभिभावक/चाचा सहदेव यादव के द्वारा प्रतिनिधित्व .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री नरेश प्रसाद ठाकुर, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए:– श्री मनोज कुमार सं0 2, ए0पी0पी0।

04/27.02.2019 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश प्रसाद ठाकुर और राज्य के विद्वान ए0पी0पी0 श्री मनोज कुमार सं0 2 को सुना गया।

यह आवेदन आपराधिक अपील (जमानत) सं0 66/2018 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 29.11.2018 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा एवं जिसके तहत पतरातू थाना काण्ड संख्या 47/2016 के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 24.09.2018 के आदेश जिसमें याचिकाकर्त्ता की जमानत प्रार्थना को खारिज कर दिया है, की पुष्टि की गई है।

यह कहा गया है कि याचिकाकर्त्ता पहले आपराधिक पुनरीक्षण सं0 689/2018 में इस अदालत के समक्ष आया था जिसे उस स्तर पर दिनांक 04.09.2018 को खारिज

कर दिया गया था। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सितम्बर 2018 के महीने में चार्ज गठन किए जाने के बाद से अब स्तर बदल गया है, लेकिन परीक्षण में आगे कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होनें आगे कहा कि याचिकाकर्त्ता 14.02.2018 से रिमांड होम में है। वह आगे कहता है कि याचिकाकर्त्ता के चाचा याचिकाकर्त्ता का ध्यान रखेंगे और उसे जमानत पर रिहा होने पर किसी भी असामाजिक तत्वों के सम्पर्क में आने नहीं देंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता दिनांक 14.02.2018 से रिमांड होम में है और मुकदमों के पहले दौर में किए गए अवलोकन के साथ युग्मित है, जबकि 29.11.2018 और 24.09.2018 के आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हुए, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को पतरातु थाना काण्ड संख्या 47/2016, जी0आर0 संख्या 204/2016 के अनुरूप में विद्वान प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, रामगढ़ के संतुष्टि के प्रति समान राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– (दस हजार) रू0 का जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन है कि, याचिकाकर्त्ता के चाचा याचिकाकर्त्ता को एक सुरक्षित स्थान पर रखेंगे और उसे किसी भी बुरे तत्व के सम्पर्क में आने नहीं देंगे और आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि जांच के समापन तक किशोर न्याय बोर्ड, रामगढ़ के समक्ष याचिकाकर्त्ता को संबंधित मामले में प्रत्येक तय किए तारीख के दिन प्रस्तुत करेंगे।

इस आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)